

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में

जबलपुर में

**माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक जैन**

रिट याचिका संख्या. 2025 का 2543.

प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ भोपाल, और दूसरे

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य, इसके माध्यम से: इसके मुख्य सचिव और अन्य

उपस्थिति: सुश्री शोभा मेनन - वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राहुल चौबे द्वारा सहायता प्राप्त - याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता श्री गिरीश केकरे - प्रतिवादी/राज्य के लिए सरकारी अधिवक्ता

**(आदेश)**

(आरक्षित तिथि: 08/07/2025)

(घोषित तिथि: 24/07/2025)

यह याचिका दिनांक 03.01.2025 (अनुलग्नक P/15) के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके तहत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत प्रोफेसरों को, जिन्हें वार्षिक ग्रेड वेतन रु. 10,000/- अर्थात् वेतनमान 37400-67000+एजीपी 10,000/- दिया गया है, सीधी भर्ती वाले प्रोफेसरों द्वारा प्राप्त 10,000/- रुपये के एजीपी के समान रु. 10,000/- का एजीपी प्रदान करने की उनकी मांग को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती वाले प्रोफेसरों और पदोन्नत प्रोफेसरों के वेतनमान में असमानता/विसंगति को दूर करने में देरी की गई है।

02. याचिकाकर्ता की शिकायत, जो शुरु में इस याचिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, यह थी कि यद्यपि पदोन्नत प्राध्यापकों की 37400-67000/- रुपये के वेतनमान में 10,000/- रुपये का एजीपी पाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह आदेश 23.12.2024 से प्रभावी हो गया है।
03. इस याचिका के दौरान समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं और उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रतिवादियों ने समय-समय पर संशोधित आदेश पारित किए हैं।
04. राज्य ने दिनांक 03.03.2025 (अनुलग्नक R/1) का एक आदेश रिकॉर्ड में दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने में लगभग एक महीने का समय लगेगा। इसके बाद, राज्य सरकार ने बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक और आवेदन दायर किया है (L.A. संख्या 5884/2025) और उक्त आवेदन के माध्यम से दिनांक 01.04.2025 का एक आदेश अनुलग्नक D/1 रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने पदोन्नत प्रोफेसरों को तीन वार्षिक समान किशतों में और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को एकमुश्त भुगतान करने के लिए बकाया राशि को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क या शिकायत, दिनांक 01.04.2025 के आदेश के मद्देनजर, उक्त आदेश दिनांक 01.04.2025 के खंड III और खंड IV के संबंध में है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि पदोन्नत प्रोफेसरों को F.R. 22-A(1) और FR-22-D का लाभ नहीं मिलेगा और इसके अलावा बकाया राशि का भुगतान तीन समान वार्षिक किशतों में किया जाएगा।

05. इसके बाद, राज्य ने 29.04.2025 को दायर हलफनामे के साथ अनुलग्नक डी-2 के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज एक और आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने भुगतान अनुसूची में संशोधन किया है और अब यह प्रावधान किया गया है कि पहली किस्त दिसंबर 2025 तक और अगली दो किस्तें जुलाई 2026 और जुलाई 2027 में दी जाएंगी।
06. अब बची हुई शिकायत अनुलग्नक डी/1 और डी/2 के आदेशों के संबंध में है, जिसके तहत सेवारत प्रोफेसरों को तीन किस्तों में भुगतान करने की अनुसूची तय की गई है और अंतिम किस्त जुलाई 2027 में दी जाएगी। दूसरी शिकायत पदोन्नत प्रोफेसरों को एफआर 22-ए (1) और एफआर 22-डी का लाभ देने से इनकार करने के संबंध में है।
07. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा उपरोक्त आदेशों में निर्धारित समय-सीमाएँ भेदभावपूर्ण और अनुचित हैं। प्रतिवादी, W.P. संख्या 17382/2012 में पारित दिनांक 20.08.2013 के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, जिसके तहत इस न्यायालय ने यह माना था कि मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापक, छठे वेतन आयोग की सिफारिश के मद्देनजर UGC के वेतनमान के अनुसार वेतन संशोधन योजना लागू होने की तिथि से 10,000/- रुपये प्रति माह का AGP पाने के हकदार हैं। यह तर्क दिया गया है कि पदोन्नत/ नामित प्राध्यापकों के संबंध में AGP को 10,000/- रुपये से घटाकर 9,000/- रुपये करना कानूनन गलत है और इसकी न्यायिक जाँच की अनुमति नहीं है।
08. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने डब्ल्यू.ए. संख्या 1523/2013 के तहत दायर रिट अपीलों के समूह को वापस ले लिया है, जिससे याचिकाकर्ताओं और 10,000/- रुपये के एजीपी के बीच कुछ भी शेष नहीं रह गया है। और राज्य उन लाभों पर राइडर्स और शर्तें नहीं लगा सकता जो याचिकाकर्ताओं को सही रूप से प्राप्त हुए थे।
09. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को मूल अधिकार 22-ए (1) और मूल अधिकार 22-डी के प्रावधानों से भी वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त लाभ याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति पर प्राप्त हुए थे, जिनका दावा वे राज्य सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के समान कर सकते हैं, जो मूल नियमों के प्रावधानों के अधीन हैं, और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं को मूल अधिकार 22-ए (1) और मूल अधिकार 22-डी के लाभ से वंचित करना पूरी तरह से अवैध और तर्कहीन है और किसी भी तार्किक भेदभाव पर आधारित नहीं है, सिवाय इसके कि यह सीधे भर्ती वाले प्रोफेसरों के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है, जो किसी भी तरह पदोन्नत प्रोफेसरों को वेतनमान और पारिश्रमिक में अपने से नीचे रखना चाहते हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अनुलग्नक डी-1 और डी-2 के आदेशों द्वारा लगाई गई अवैध और मनमानी शर्तें, अर्थात् याचिकाकर्ताओं को एफआर 22-ए (i) और एफआर 22-डी के लाभ से वंचित करना, रद्द किया जाए और साथ ही बकाया भुगतान की अनुसूची को भी उचित रूप से संशोधित किया जाए ताकि अधिकांश पदोन्नत प्रोफेसरों, जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को बकाया राशि शीघ्रता से मिल सके।
10. इसके विपरीत, राज्य के वकील ने जोरदार तर्क दिया है और दिनांक 07.07.2025 के अतिरिक्त उत्तर के माध्यम से विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं जिनमें पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले प्रोफेसरों की समानता पर प्रश्न उठाए गए हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि वरिष्ठ और चयन वेतनमान प्राप्त सहायक प्रोफेसरों के पद पहले से ही प्रथम श्रेणी के पद हैं,

इसलिए याचिकाकर्ता मूल नियम 22-डी के दायरे से बाहर हैं, और जहाँ तक मूल नियम 22-ए का संबंध है, यह पदोन्नति पर लागू नहीं होगा, बल्कि "मूल आधार पर नियुक्ति" पर लागू होगा, जो पदोन्नति नहीं हो सकती।

#### 11. सुनवाई।

12. जहाँ तक प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता की आपत्ति का संबंध है कि पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्ती वाले प्रोफेसरों में अंतर है, यह न्यायालय इस विवाद में शामिल होने से बचता है। क्योंकि एक बार जब राज्य सरकार ने स्वयं इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा W.P. संख्या 17382/2012 में पारित आदेश के अनुपालन में 10,000/- रुपये का एजीपी स्वीकार कर लिया था और उक्त आदेश के विरुद्ध रिट अपील वापस ले ली थी, तो राज्य सरकार को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पदोन्नत प्रोफेसर 10,000/- रुपये के एजीपी के लाभ के हकदार नहीं हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि राज्य सरकार ने 07.07.2025 को दायर अतिरिक्त उत्तर में ऐसी दलील कैसे दी जो राज्य सरकार द्वारा पारित उस आदेश के विपरीत है जिसके तहत पदोन्नत प्रोफेसरों के लिए 10,000/- रुपये का एजीपी स्वीकार किया गया था। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा पदोन्नत/पदनाम प्रोफेसरों को 10,000 रुपये के एजीपी के हकदार होने के गुण-दोषों से संबंधित ऐसे कथन करना अत्यंत निंदनीय है और इस न्यायालय द्वारा इसकी निंदा की जाती है।

#### एफआर 22-डी:

13. जहाँ तक पदोन्नत प्राध्यापकों को एफआर 22-डी का लाभ पाने की पात्रता का संबंध है, निर्विवाद रूप से, मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के अनुसार, चयन ग्रेड प्राप्त सहायक प्राध्यापक का पद प्रथम श्रेणी का पद है और इसलिए, वरिष्ठ ग्रेड/चयन ग्रेड प्राप्त सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति प्रथम श्रेणी से उच्चतर प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति मानी जाएगी। एफआर 22-डी के प्रथम परंतुक के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान है:-

*“बशर्ते कि इस नियम के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब किसी सरकारी कर्मचारी को, जो मूल, अस्थायी या स्थानापन्न क्षमता में प्रथम श्रेणी का पद धारण कर रहा हो, उच्च पद पर मूल, अस्थायी या स्थानापन्न क्षमता में पदोन्नत या नियुक्त किया जाता हो जो भी प्रथम श्रेणी का पद हो।”*

14. पदोन्नति के मामले में उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को प्रथम श्रेणी से उच्चतर प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए उन्हें मूल नियम 22-डी से वंचित करना पूरी तरह से वैध, वैध और उचित है।

#### मूल नियम 22-ए (1) :

15. जहाँ तक मूल नियम 22-ए (1) की प्रयोज्यता का संबंध है, यह प्रावधान तब लागू होता है जब व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर मौलिक रूप से पदोन्नत किया जाता है जिस पर वह पहले मौलिक रूप से आसीन रहा है या स्थानापन्न रहा है। यह उसी पद पर मौलिक रूप से या स्थानापन्न होने या उसी समयमान में स्थायी या अस्थायी पद पर या समान समयमान के अलावा किसी स्थायी पद पर या समान समयमान पर अस्थायी पद पर, ऐसा पद स्थायी पद के समान समयमान पर हो, लागू होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका प्रारंभिक वेतन नियमों के अनुसार निर्धारित वेतन से कम नहीं होगा, जो वह पिछले ऐसे अवसर पर प्राप्त करता था और वह वेतन वृद्धि के लिए उस अवधि को गिनेगा जो उसने पिछले और पिछले अवसरों पर उस वेतनमान में प्राप्त की थी।

16. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मूल नियम 22-ए के अनुसार, प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत सहायक प्रोफेसर मूल नियम 22- (ए) (i) (ii) का लाभ पाने के हकदार हैं, जो पदोन्नति वाले पद पर वेतन संरक्षण और निर्धारण का प्रावधान करता है।
17. हालाँकि, जहाँ तक मूल नियम 22-ए की प्रयोज्यता का संबंध है, केवल उस प्रयोज्यता को अनुलग्नक डी-1 और डी-2 के आदेशों द्वारा कम किया गया है, न कि मूल मूल नियम 22 की प्रयोज्यता को। मूल नियम 22-ए तभी लागू होता जब याचिकाकर्ता पदोन्नति वाले पद पर कार्यरत होते, जो कि मामला नहीं है।
18. यद्यपि राज्य सरकार ने अतिरिक्त उत्तर में तर्क दिया है कि पदोन्नति में "नियुक्ति" शामिल नहीं है और इसलिए, मूल नियम 22 (ए) लागू नहीं होगा, हलफनामे में दिया गया उक्त बचाव पूरी तरह से गलत है क्योंकि सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से हुई है। मूल नियमों की योजना के तहत, नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भी हो सकती है। इसलिए, पदोन्नत प्रोफेसरों को मूल नियम 22 (ए) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य का रुख वित्त विभाग के दिनांक 25.7.1987 के अपने सामान्य परिपत्र के विपरीत है। अतिरिक्त उत्तर में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ शरारती दलीलें दी गई हैं जो राज्य सरकार के मामले से परे हैं, आक्षेपित आदेश में, जिसकी पहले ही ऊपर निंदा की जा चुकी है। वित्त विभाग का दिनांक 25.7.1987 का परिपत्र इस प्रकार है:-

#### **पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिये विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति**

राज्य शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण उपस्थित हुए हैं, जिनमें उच्च पद पर पदोन्नति होने पर मूल नियम 22 की, के अधीन वेतन निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाने पर निचले पद पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात किसी कनिष्ठ कर्मचारी की उच्च पद पर पदोन्नति होने से उसी संवर्ग में उसके वरिष्ठ एवं उसी पद पर पूर्व से पदोन्नत कर्मचारी के वेतन में विसंगति उत्पन्न होती है जिसे कनिष्ठ से पूर्व पदोन्नत होने पर भी, अपने से कनिष्ठ व्यक्ति से किसी भी समय निम्न पद पर कम वेतन प्राप्त नहीं किया था।

2/ राज्य शासन ने विचारोपरांत यह निर्णय लिया है, कि उपर्युक्त विसंगति दूर करने के लिये शासकीय सेवकों की पदोन्नति होने पर उनके पदोन्नति के पद के वेतन निर्धारण के लिये उन्हें निम्न प्रकार का विकल्प दिया जाये:-

(क) या तो निचले पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये सीधे ही मूल नियम 22 डी के अन्तर्गत उच्च पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित कर दिया जाय: अथवा

(ख) पदोन्नति पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गए तरीके से निर्धारित कर दिया जाए और दूसरी बार निचले पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22 डी के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्धारित कर दिया जाये।

यदि वेतन उपर्युक्त (ख) के अधीन निर्धारित किया जाता है तो शासकीय सेवक को आगामी वेतन वृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12, माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को ही मिलेगी।

3/ पदोन्नति आदेशों में ही विभाग द्वारा यह उल्लेख किया जावेगा कि शासकीय सेवक द्वारा विकल्प पदोन्नति आदेश प्राप्ति की तारीख में एक माह के अंदर दिया जायेगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4/ इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

(1) यह विकल्प विभाग में संवर्गीय सामान्य पदोन्नति के मामलों में ही मान्य होगा। संवर्ग के बाहर अथवा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त होने की स्थिति में यह विकल्प अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) तदर्थ पदोन्नति के मामले में विकल्प की पात्रता नहीं होगी। लेकिन तदर्थ पदोन्नति को नियमित किये जाने की स्थिति में नियमितीकरण आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक माह के अंदर विकल्प देने की अनुमति दी जायेगी।

(3) जिन मामलों में इस ज्ञापन के अनुसार विकल्प के आधार पर निर्धारण किया जावेगा। वहां मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधान के अनुसार मूल नियम 22 के परंतुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा।

5/ उपरोक्त सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद भी किसी शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में, एक वर्ष के लिये पदोन्नत संबंधित शासक्य सेवक को वंचित कर दिया जायेगा।

6/ यह आदेश इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(म.प्र शासन वित्त विभाग, क्रमांक बी-388/684/87/नि-1/चार, दिनांक 25-7-1987)

19. हालाँकि, इस आदेश के पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित बिना किसी वैध कारण के, याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से मूल नियम 22 (ए) (i) के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जो राज्य की नीति के विपरीत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वे मूल नियम 22 (ए) के मूल भाग का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसे राज्य सरकार वित्त विभाग के परिपत्र के विपरीत होने के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा कम नहीं कर सकती।

### समय-सारिणी -

20. जहाँ तक समय-सारिणी का संबंध है, प्रारंभ में राज्य सरकार सेवारत प्राध्यापकों को तीन समान वार्षिक किशतों में भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी और अब इसके लिए समय-सारिणी निर्धारित की गई है: पहली किशत दिसंबर-2025 में, दूसरी जुलाई-2026 में और अंतिम जुलाई-2027 में भुगतान की जाएगी। यह तर्क दिया गया है कि इससे राज्य के राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और इसलिए, राज्य इन तिथियों से पहले पदोन्नत प्राध्यापकों को 10,000/- रुपये का एजीपी अनुदान देने की देयता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

21. यह सच है कि इस मामले से राज्य के राजकोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। हालाँकि, इस मामले में राज्य ही दोषी है क्योंकि इस न्यायालय ने 2013 में ही कानूनी मुद्दे का निपटारा कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार को उक्त आदेश का पालन करने में 12 साल लग गए। अतः, पदोन्नत प्राध्यापकों को मुकदमे के उचित लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि राज्य पिछले 12 वर्षों से इस मामले को लटकाए हुए है। अतः, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य, पदोन्नत प्राध्यापकों को तीन समान किशतों में भुगतान करे, लेकिन उक्त तीनों किशतों का भुगतान 31 दिसंबर 2026 तक किया जाए और पहली किशत आज से 4 महीने के भीतर की जाए। परिणामस्वरूप, याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है:-

1. याचिकाकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के सदस्यों को FR22-D का लाभ न देने के लिए आदेश अनुलग्नक D-1 और D-2 में संलग्न शर्त को बरकरार रखा जाता है।

2. यह माना जाता है कि FR 22 (a) (i) (ii) का मूल भाग वित्त विभाग के दिनांक 25.7.1987 के परिपत्र के अनुसार पदोन्नत प्रोफेसरों पर लागू होता रहेगा, लेकिन FR 22-A लागू नहीं होगा।
3. आदेश अनुलग्नक D-1 और D-2 में निर्धारित समय-सीमा को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि इस आदेश की तिथि तक सेवानिवृत्त हुए सभी प्रोफेसरों को आज से चार महीने के भीतर उनकी पूरी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा और सेवारत प्रोफेसरों को आज से चार महीने के भीतर पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा और अंतिम किस्त का भुगतान 31.12.2026 तक किया जाएगा, उसके बाद नहीं।
4. यदि समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रोफेसर समय-सीमा समाप्त होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।
- 22.** उपरोक्त शर्तों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

(विवेक जैन)

न्यायाधीश